



दिनांक 08.09.2020

प्रेस विज्ञप्ति 08/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गौतमबुद्धनगर/थाना नालेज पार्क

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस,
 - चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 07.09.2020 को थाना नालेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गुर्जरपुर रोड के पास से 02 मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोका गया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त अबरार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस 315 बोर व चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दनकौर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 926/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर व बुलन्दशहर के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गैंगेस्टर आदि के लगभग डेढ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अबरार निवासी ग्राम ढकौली थाना अगौता बुलन्दशहर।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित व 01 खोखा कारतूस।
2. चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

जनपद मथुरा/थाना जमुनापार

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध पिस्टल मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल

दिनांक 07.09.2020 की रात्रि थाना जमुनापार पुलिस टीम द्वारा कोसी कलां कस्बा के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी बनवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना जमुनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-बनवारी निवासी डेहरूआ थाना जमुनापार मथुरा।

बरामदगी

1- 01 अवैध पिस्टल मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस।

2- 01 मोटरसाइकिल।

जनपद बदायूं/थाना बिसौली

- लूट की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार लूट के 08 हजार 360 रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन।
- घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस बरामद।

दिनांक 07.09.2020 को थाना बिसौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रानेट चौराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1-रिजवान व 2-रिन्कू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 08 हजार 360 रुपये नकद, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2020 को थाना बिसौली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद माल को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना बिसौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिजवान निवासी कादरबाड़ी थाना सौरों जिला कासगंज।

2—रिचू निवासी टूडरा थाना सिद्धपुरा जिला कासगंज।

बरामदगी

1—लूट के 08 हजार 360 रूपये नकद, 02 मोबाइल फोन।

2—घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचे मय कारतूस आदि बरामद।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना राजेसुल्तानपुर

● 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 08.09.2020 को थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 15 हजार रू० का पुरस्कार घोषित अपराधी गया निषाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना राजेसुल्तानपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 359/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तार हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू० का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गया निषाद निवासी ग्राम नई बस्ती खरूवईया, माझा कम्हरिया थाना राजेसुल्तानपुर अम्बेडकरनगर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर-49

- मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
- लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 50 कि०ग्रा० अवैध गांजा
- 01 स्वीफ्ट कार बरामद

दिनांक 07.09.2020 की सायं थाना सेक्टर-49 पुलिस टीम द्वारा सेक्टर 74 चौराहे के पास से मादक पदार्थ तस्कर मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 50 किलो अवैध गांजा व एक स्वीफ्ट कार बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सेक्टर-49 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मोहित नि० ग्राम व थाना वगाह जिला चंपारण बिहार हालपता-सेक्टर 53 थाना सेक्टर 24 नोएडा

बरामदगी

- 1-लगभग 05 लाख रूपये कीमत का 50 किलो अवैध गांजा।
- 2-01 स्वीफ्ट कार बरामद।

जनपद सुलतानपुर/थाना कादीपुर

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 08.09.2020 को थाना कादीपुर व थाना दोस्तपुर की संयुक्त पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान चीनी मिल तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आदर्श व सत्येन्द्र घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस संबंध में थाना कादीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आर्दश नि० हमजाबाद थाना जयसिंहपुर सुलतानपुर।

2—सत्येन्द्र निवासी गोरा थाना मोतिगरपुर सुलतानपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

2—01 मोटरसाइकिल।

जनपद देवरिया / थाना बनकटा (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की करीब 05 करोड़ रुपये कीमत की सम्पत्ति जब्त की कार्यवाही)

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी तार बाबू द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।

जनपद मऊ / थाना कोतवाली (गैंगेस्टर एक्ट में एक अपराधी की करीब 68 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति जब्त)

जनपद मऊ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले शातिर अपराधी सुरेश सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 68 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।

उल्लेखनीय है कि अपराधी सुरेश सिंह रजिस्टर्ड गैंग—डी 34 का सदस्य है। गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत अबतक लगभग 04 करोड़ 28 लाख 95 हजार रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।